

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ.1(3)(10)स्था/मंत्रा/आईसीडीएस/18/163609


जयपुर, दिनांक
10-9-18

आदेश

विभागीय स्वीकृति क्रमांक 154160 दिनांक 28-8-18 द्वारा विभाग के अधीन संचालित 21 बाल विकास परियोजनाओं का पुननिर्धारण किया गया है। जिसके फलस्वरूप इन परियोजनाओं में स्वीकृत लेखाकर्मियों के पदों को भी विलोपित/पुननिर्धारण किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 1-9-18 से प्रभावी हो गया है तथा विलोपित परियोजनाओं में कार्यरत कार्मिकों का दिनांक 31-8-2018 तक ही वेतन भुगतान हो पायेगा।

अतः विलोपित की गयी परियोजनाओं में कार्यरत लेखाकर्मियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति अविलम्ब उनके पैतृक विभाग में देना सुनिश्चित करावें।


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ.1(3)(10)स्था/मंत्रा/आईसीडीएस/18/163610-619 जयपुर, दिनांक
10-9-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।
5. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. सम्बन्धित उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग।
7. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।
8. सम्बन्धित कार्मिक
9. व्यक्तिगत पत्रावली
10. आदेश पत्रावली


उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर